A6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री घनश्याम शर्मा
आर.ए.एस

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला
40/अपील/2021	15.12.2021	19.07.2024

1. सोनू आ0 स्व0 कैलाश जाति यादव जाति माली निवासी वार्ड न0 17 नैनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. अजय आ0 स्व0 कैलाश जाति यादव जाति माली निवासी वार्ड न0 17 नैनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
3. विक्की उर्फ विक्रम आ0 स्व0 कैलाश जाति यादव जाति माली निवासी वार्ड न0 17 नैनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी नाबालिक जर्ये नाबालिग जर्ये संरक्षक माता मांगीबाई जाति माली निवासी वार्ड नं. 17, नैंनवा जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

1. मंजु यादव विधवा पत्नि श्री स्व0 कैलाश यादव निवासी ग्राम जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. जितेन्द्र यादव आ0 श्री स्व0 कैलाश यादव निवासी ग्राम जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. महेन्द्र यादव आ0 श्री स्व0 कैलाश यादव निवासी ग्राम जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. तहसीलदार महोदय, तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से हिमांशी शर्मा एड0
रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 की ओर से दयाकृष्ण विजय एड0
रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित किये गये आदेश मि0न0 1/भु0अ0/2021 दिनांक 26.11.2021 वाके ग्राम जजावर तहसील नैंनवा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश से कृषि भूमि खसरा सख्या 3621 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 3639 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व खसरा संख्या 3897/3657 रकबा 2 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम जजावर मृतक खातेदार कैलाश की मृत्यु के बाद कैलाश के भाई बालकिशन व रेस्पोडेन्ड के नाम दर्ज की गई है। अपील

अति0 जिला कलक्टर

A 6/2

जाने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 3621 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 3639 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व खसरा संख्या 3897/3657 रकबा 2 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम जजावर तहसील नैंनवा विस्थित हैं जिसके मूल खातेदार कैलाश यादव व बालकिशन थें, कैलाश का स्वर्गवास दिनांक 30.09.2014 को हो चुका है। कैलाश की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर नामान्तरकरण संख्या 1985 दिनांक 31.12.2014 से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ड के नाम खातेदार के रूप में दर्ज किये गए, जिससे व्यथित होकर रेस्पो0 1 लगायत 3 द्वारा न्यायालय श्रीमान ए0डी0एम0 बून्दी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें बिना बाद समाहत अपीलान्टस गण उपस्थित होने व बहस के उपरांत अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नैनवा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि वह मृतक कैलाश के सभी वारिसान को समुचित सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये सम्पूर्ण विधिक जांच करते हुये नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे, उसके उपरांत भी तहसीलदार नैनवा द्वारा पुर्ववत नामान्तरकरण संख्या 1985 दिनांक 05.01.2011 को दृष्टिगत रखे बिना एंव बिना किसी आधार एंव जांच ओर सुनवाई किये निर्णय मि0 न0 1/भु0अ0/2021 दिनांक 26.11.2021 अवैधानिक व अनाधिकृत रूप से पारित किया है जिसके द्वारा मृतक कैलाश की भूमि के विरासत का फौती इंतकाल रेस्पो0 1 लगायत 3 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गए है। विवादित कृषि भूमि मृतक कैलाश की खाते की भूमि है, अपीलान्ट 1 लगायत 3 की माता मृतक कैलाश की दूसरी पत्नि है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट भी समान भाग के हकदार है। अपीलाण्टगण के विरूद्व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने धारा 498ए , 406 व 494 ता0हि0 का फौजादारी प्रकरण संख्या 299/2008 दर्ज करवाया गया था जिसमें भी अपीलाण्टगण को मृतक कैलाश यादव की पत्नि व पुत्र मानकर स्वय रेस्पो0 संख्या 1 को पक्षद्रोही घोषित किया गया उसके उपरांत भी तहसीलदार नैनवा द्वारा गत नामा0 संख्या 1985 31.12.2014 को वैधानिक तस्दीक किया गया था,उक्त आदेश को दृष्टिगत रखे बिना ही निर्णय पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। मृतक कैलाश के दो पत्निया जिसमें एक मंजु यादव व दुसरी मांगी बाई मौजुद है और दोनो के मृतक कैलाश के नुत्फे से उत्पन्न संताने है। इसलिये मृतक कैलाश के विरासत में खोले गए गत नामा0 में मंजु यादव के पुत्र व मांगी बाई के पुत्र होने से कानुनन वैधानिक रूप से नामान्तरकरण को तस्दीक किया गया था। एक पिता से उत्पन्न सभी संतानो नामान्तरकरण विरासत में खुलना हिन्दु विधि के अनुसार मान्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ड ने दोहराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि आदेश मि0न0 1/भु0अ0/2021 दिनांक 26.11.2021 तहसीलदार नैंनवा द्वारा संपूर्ण विधिक जांच एवं सुनवाई उपरांत किया गया हैं जो विधि अनुरूप हैं। अपीलांटगण व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 स्वर्गीय कैलाश की संतान हैं तथा रेस्पो0 संख्या 1 स्वर्गीय कैलाश की प्रथम पत्नि है। कैलाश की मृत्यु के उपरांत अपीलांटगण व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूचि के वर्ग प्रथम के वारिस हैं तथा एक ही पिता के नुत्फे से अलग-अलग माताओं से उत्पन्न संतानें हैं। इस प्रकार की संतानों को सगे भाई-बहन माना गया हैं तथा धर्मज संतान माना गया हैं। इस अनुसूचि में भाई या बहन के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उस

G

अति0 जिला कलक्टर

या बहन के प्रति निर्देश नहीं हैं जो केवल एकोदर रक्त के हो बल्कि एक पिता से परन्तु अलग–अलग माताओं से उत्पन्न बच्चे भी सगे भाई बहन माने गये हैं। प्रथम पत्नि की जीवित अवस्था में एक हिन्दू पुरूष द्वितीय विवाह करता हैं तो द्वितीय पत्नि से उत्पन्न की स्थिति के बारे में यह उपधारणा की गई हैं कि धारा 16 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार विवाह अकृत्य और शून्य होते हुये भी ऐसे विवाह का कोई अपत्य जो विवाह के विधि मान्य होने की दशा में धर्मज होगा। इस प्रकार प्रथम पत्नि की जीवित अवस्था में द्वितीय पत्नि से उत्पन्न संतान भी धर्मज संतान होगी। उक्त कृषि भूमि से सम्बंधित मूल नामान्तरकरण संख्या 1985 दिनांक 31.12.2014 की अपील को पूर्व में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.03.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया था। न्यायालय के निर्णय की पालना में विवादित नामान्तरकरण की सुनवाई भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अर्न्तगत हुई, उक्त नामान्तरकरण की अपील की सुनवाई श्रीमान संभागीय आयुक्त कोटा के क्षैत्राधिकार में होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1985 दिंनाक 31.12.2014 की अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जो मुकदमा संख्या 5/अपील/2015 संस्थित की जाकर दिनांक 31.03.2021 को निर्णित की जा चुकी है। पूर्व निर्णयानुसार अपील अधिनस्थ न्यायालय को मृतक कैलाश के सभी विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये संपूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गई थी। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.03.2021 की पालना में तहसीलदार नैंनवा द्वारा विवादित प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अर्न्तगत दर्ज कर सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 26.11.2021 को पारित किया गया है। तहसीलदार नैनवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2021 की अपील की सुनवाई का अधिकार न्यायालय को न होकर श्रीमान संभागीय आयुक्त कोटा के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से अपील खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार न्यायालय को नहीं होकर श्रीमान संभागीय आयुक्त कोटा के न्यायालय में होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलान्ट पृथक से अपील सम्बंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

G7

अति० जिला कलक्टर,
बून्दी (राज०)
बूंदी